"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241] रायपुर, सोमवार, दिनांक 31 अगस्त 2009—भाद्र 9, शक 1931

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10/27/2009/वाक/पांच (35).—छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/39/2006/वाक/पांच (32) दिनांक 13-04-2006 में 31 अगस्त, 2009 की प्रभावशीलता से निम्नानुसार संशोधन करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की वर्तमान अनुसूची के स्थान पर निम्नानुसार अनुसूची प्रतिस्थापित की जाए :—

अनुसूची

अ. क्र. (1)	जांच चौकी या नाका के स्थान का नाम एवं वर्णन (2)	जांच चौकी या नाका की स्थिति (3)
1.	राजनांदगांव जिले में पाटेकोहरा (रामपुर)	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर नागपुर मार्ग पर राजनांदगांव से 41वें और 42वें किलोमीटर के मध्य.
2.	महासमुंद जिले में सरायपाली (भगतदेवरी)	राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 पर संबलपुर मार्ग पर रायपुर से 123वें एवं 124वें किलोमीटर के मध्य.

(1)	(2)	(3)
3.	कबीरधाम जिले में ग्राम पौंड़ी	राजमार्ग क्रमांक 9 पर, जबलपुर (व्हाया कवर्धा) मार्ग पर राजनांदगांव से 136वें एवं 137वें किलोमीटर के मध्य.
4.	सरगुजा जिले में वाड्रफनगर	अम्बिकापुर-वाराणसी मार्ग पर अम्बिकापुर से 94वें एवं 95वें किलोमीटर के मध्य.
5.	जशपुर जिले में लोदाम (शंख)	जशपुर-रॉंची मार्ग पर जशपुर से 27वें एवं 28वें किलोमीटर के मध्य.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2009

क्रमांक एफ-10/27/2009/वाक/पांच (35).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10/27/2009/वाक/पांच (35), दिनांक 31-8-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

Raipur, the 31st August 2009

NOTIFICATION

No. F-10/27/2009/CT/V (35).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government hereby makes the following amendment in this department Notification No. F-10/39/2006/CT/V (32) dated 13-04-2006 with effect from 31st August, 2009 :—

AMENDMENT

In the said Notification for the present Schedule the following Schedule shall be substituted :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Name and description of places of check post or barriers (2)	Location of check posts or barriers (3)
1.	Patekohra (Rampur) in Rajnandgaon District.	Between 41st and 42nd K. M. from Rajnandgaon on Nagpur Road on National Highway No. 6.
2.	Saraipali (Bhagat-Deori) in Mahasamund District.	Between 123rd and 124th K. M. from Raipur on Sambalpur road on National Highway No. 6.

(1)	(2)	(3)
3.	Village Poudy in Kabirdham District.	Between 136th and 137th K. M. from Rajnandgaon on Jabalpur (Via-Kawardha) on State Highway No. 9.
4.	Wandraf Nagar in Surguja District.	Between 94th and 95th K. M. from Ambikapur on Ambikapur-Varanasi Road.
5.	Lodam (Shankh) in Jashpur District.	Between 27th and 28th K. M. from Jashpur on Jashpur-Ranchi Road.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. RAI, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.